पत्र संख्या–11/आ० नी०–I–01/2012 सा०प्र०5727/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना–15, दिनांक 28.03.25

विषयः– **नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोगों द्वारा प्रकाशित विज्ञापन एवं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आदेश के आलोक में कतिपय जातियों की आरक्षण कोटि में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में आवेदकों के आरक्षण कोटि में सुधार करने के बिन्दु पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा याचित मंतव्य के प्रसंग में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका कार्यशील अंश (Operative Part) निम्नवत है–

The principle that the process of selection must be completed in accordance with the rules which existed at the time of issuance of advertisement will have no application to the examples referred to above. It's not a question of changing the process of selection. It is on account of fortuitous circumstances that the category to which Tanti/ Tantwa, Lohara and Teli have been put in requires a solution which would be just and proper. These communications, therefore will have to be considered in accordance with their category status as, I have discussed earlier.

I am of the considered view, that each of the categories referred to above would be entitled to be considered as Member of Extremely Backward Class (Annexure-1) irrespective of commencement of process of selection.

In my view, it would be proper that they are given their legitimate entitlement in accordance with what I have said above.

विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत संसूचित किया जाता है कि–

(i) नियुक्ति एवं नामांकन के संदर्भ में विज्ञापन जारी करने/सूचना निर्गत होने की तिथि के समय प्रवृत्त नियमों के आलोक में नियुक्ति/नामांकन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। साथ–हीं प्रोन्नति के संदर्भ में भी विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत होने की तिथि के समय प्रवृत्त नियमों के आलोक में प्रोन्नति से संबंधित कार्रवाई पूर्ण की जायेगी।

(ii) यदि किसी जाति के आरक्षण कोटि (Caste Status) में किसी तरह का परिवर्तन होता है, तो नियुक्ति/नामांकन एवं प्रोन्नति के मामले में उस जाति विशेष के संदर्भ में संशोधित आरक्षण कोटि के आधार पर नियुक्ति/नामांकन एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

यह कार्रवाई संबंधित पदाधिकारी/विभाग/अनुशंसी संस्थान/आयोग आदि द्वारा स्वयं अपने स्तर से कर लिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों द्वारा किसी प्रकार के आवेदन/प्रमाण पत्र समर्पित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

एतद संबंधी पूर्व निर्गत आदेश (यदि कोई हो) के अंसगत अंश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन

(रजनीश कुमार) 28/03/25

सरकार के संयुक्त सचिव।